राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र. प- 2(14) III- A/निर्वा /105/24-25/ 9278 जयपुर, दिनांक : 20/9/24

::आदेश::

विधानसभा आम चुनाव–2023 / लोकसभा आम चुनाव–2024 के दौरान तत्काल होने वाले व्यय यथा आउटराईट पेमेन्ट, सी.ए.पी.एफ / एस.ए.पी के कार्मिको को मानदेय भुगतान एवं अन्य आकस्मिक व्ययों के भुगतान हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 219 के अनुलग्नक 'क' के बिन्दु संख्या 10 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सहपठित नियम 74A में शिथिलता देते हुए समय–समय पर इस विभाग द्वारा ए.सी. बिल द्वारा नकद आहरण की स्वीकृति जारी की गयी थी किन्तु कुछ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयो द्वारा आज भी ए.सी. बिल द्वारा नकद आहरण किया जा रहा है। अतः इस विभाग द्वारा आदिनांक से पूर्व ए.सी. बिल द्वारा नकद आहरण की जारी की गयी स्वीकृतियो को एतद् द्वारा प्रत्याहारित किया जाता है।

साथ ही जिन जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयो ने आदिनांक ए.सी बिल द्वारा आहरित की गयी राशि का समायोजन डी.सी. बिल द्वारा नही किया गया, वह तत्काल किया जाना सुनिश्चित करे।

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग

क्र. प- 2(14) III- A/निर्वा /105/24-25/ 9278 जयपुर, दिनांक : 20/9/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय समस्त, राजस्थान।
4. गार्ड फाईल।

वित्तीय सलाहकार
निर्वाचन विभाग